ance to anybody who goes and encroaches on Government land and claims all those facilities which we have given to these people when they are asked to evict. We want to avoid that precedent because, after all, they are encroaching on Government land which is not authorised. If we treat it as a precedent, then people will start on encroaching on Government land. Because, in Kerala land is very limited. So, if anybody goes and occupies a forest land we are asked to give the same treatment when they are evicted, it will be rather difficult. But, in this case, having regard to the fact that they have been there since 1942, I am not taking that attitude.

Shri Vasudevan Nair: The Government sent them there.

Shri Hathi: Whatever it be, I am not taking that legal or technical stand. So far as free ration is concerned, we have given them Rs. 25 extra. Regarding dispensaries, we have already directed a medical officer to visit the area daily and, if it is not possible, on alternate days. Then, I shall instruct the Kerala Government that, if possible, some works may be opened so that they may get employment. I think these are the main demands.

I am sorry, in the question he simply asked whether Government are aware of the sufferings of those people. I said "yes". If he had asked what their demands were etc. I would have given the information, because I do not want to hide anything from him or from the House. But the question was whether the Government is aware of this and so I said "yes". We have received representation and we would have given the details if they had been asked for. As these are the difficulties that have been experienced by them I would certainly look into them. I will also look into the question of giving them some employment.

One of the items which I find here is that three wells are sanctioned. If instead of three more wells are necessary I will ask them to have five wells, because these are the facilities which we have to look into from the humanitarian point of view.

17:28 hrs.

MOTIONS *RE*: (i) FOOD SITUATION AND (ii) SITUATION ARISING OUT OF DROUGHT CONDITIONS--contd.

श्री तुलशीदास जाधव (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर दो दिनों से जो डिबेट हो रहा है वह देश के अन्दर अकाल पड़ने से जो तकलीफ हो रही है उसके लिये हो रहा है । मैं जहां से आया हूं, अर्थात् महाराष्ट्र में खरीफ और रबी के लिये बरसात न होने से दिक्कत पैदा हो रही है । एक तो वहां अनाज की दिक्कत है उसके साथ ही पीने के लिये पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है, जानवरों का चारा भी नहीं मिल रहा है । यह ठीक है कि बरसात का पानी हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में बरसात का लाना या बन्द करना नहीं है । लेकिन जिस नदी में पानी होता है हर वक्त वहां से पानी पीने के लिये हम नहीं जाते है । वहां से घड़े भर कर घर में ला कर रखते है और एक दो दिन इस का इस्तेमाल करते हैं ।

17:29 hrs.

[SHRI SONAVANE *in the Chair*]

उसी तरह से जब जब बरसात हो रही थी ईस वगैरह तैयार कर के हम को पानी सम्भाल कर रखना चाहिये था और पंपिंग वगैरह कर के इस्तेमाल करना चाहिये था । लेकिन वह शुरू से लेकर पत्तरह वर्षों में जितना होना था नहीं हुआ । और उसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे यहां सिंचाई नहीं हो सकी ।

इसके साथ साथ हम अमरीका से जो अनाज मंगवाते थे उसका भी बहुत भारी परिणाम उत्पादन पर पड़ा है । चूंकि अनाज पैदा करने वाले को उस की कीमत पूरी नहीं मिल रही है इस लिये वह कैश क्राप की ओर चला गया और कैश क्राप के होने से अनाज कम हुआ । इस के अन्दर यह भी एक फैक्टर है ।

[श्री तुलशी दास जाधव]

तो इसीलिए जो पहले बातें हुई, जिस बाबत में अपनी गलती हुई वह सुधारने का एक मौका है। अभी इस वक्त यह अकाल पड़ने से जो तरीके या जो प्रयत्न करने हैं वह ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि जिससे आगे कभी ऐसा मौका आ जाय कि बरसात न हो तो भी अपने को तकलीफ न हो।

अभी मैं महाराष्ट्र की बात कहता हूं। वहां 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन में से एक दो डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दिया जाय तो महाराष्ट्र में बड़ी दिक्कत और बड़ा धोखा है। इस समय 1 हजार रुपये और 12 सौ रुपये के जानवर की कीमत बाजार में 100 रुपये या 200 रुपये तक है और वह भी खरीदी करने वाले जो लोग हैं वह कसाई लोग हैं। मैंने अभी चार दिन पहले शोलापुर में देखा तो वहां बकरी का या भेड़ का या मुर्गी का जो मांस है उसकी कीमत 4 रुपये और 3 रुपये सेर है लेकिन जानवरों के मांस की कीमत 1 रुपये और 12 आने हो गई है। इसके माने यह हैं कि ये सब जानवर कट रहे हैं और यह ज्यादा कटने के बाद अगले मौसम के लिए जानवर मिलने मुश्किल हैं। इसलिए मेरी यह रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी करें, कि जल्दी से जल्दी जानवरों को सम्हालने की कोशिश करें।

दूसरी बात—आज महाराष्ट्र के बाजार में जो जवारी का एरिया है, उसमें तो जवारी का भाव डेढ़ रुपये से 2 रुपये किलो तक है और बाजरे का भी सवा रुपये से डेढ़ रुपये किलो तक है। गेहूं तो दो रुपये से ढाई रुपये तक है और जो खाद्य तेल है सरसों का उसका भाव 4 रुपये किलो तक है। सीरिअल्स जो हैं उनका भी दाम डेढ़ रुपये किलो है। आजकल जो वहां लोग काम करने जाते हैं वह पैसे पर नहीं जाते हैं, वह तो कहते हैं कि हम को अनाज दीजिये तब हम काम पर जायेंगे। काश्तकार के काम के लिए वह नहीं जाते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि किसी भी हालत में सेंट्रल गवर्नमेंट को महाराष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा अनाज देने की कोशिश करनी चाहिए। देश में गये हुए सोलह सत्रह वर्षों में 40 परसेंट खेती का उत्पादन बढ़ गया है और 35 करोड़ से 47 करोड़ तक लोक संख्या बढ़ गई, रोजाना पचास हजार लोग बढ़ते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ गई, यह सब ख्याल में रख कर गवर्नमेंट का काम था कि पिछले सत्रह वर्षों में या दस बारह वर्षों में अनाज की इस रीति से बढ़ती करे जिससे उसकी कमी न पड़े। लेकिन वह अनाज की बढ़ती करने वाले जो काश्तकार हैं, मेरी यह राय है और मैंने बहुत दफा बोलते हुए कहा कि काश्तकारों की तरफ जिस रीति से देखने की गरज थी उस रीति से देखा नहीं। छोटे छोटे जो धन्धे हैं उनके अन्दर जो कैपिटल है, जो भंडार हैं, उसमें कभी किसी धन्धे के अन्दर अगर कभी मुनाफा न हो तो धन्धा बन्द हो जाता है। इसी रीति से अगर काश्तकारी का जो धन्धा है, खेती का धन्धा है उसको देखा जाय तो उसमें हमेशा वह नुकसान में है और सरकार ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी तो यह राय है कि इस वक्त सरकार को ऐसी योजना करनी चाहिए कि जिससे काश्तकार खेती को एक बड़ा धन्धा समझ कर उसके पीछे पड़े और काश्तकार को जो कचहरी वगैरह में बार बार जाना पड़ता है उसके बजाय सब चीज बीज खाद वगैरह सब की सब चीजें उसके मकान पर जाकर उसको दी जायं और इस तरह उससे मेहनत करवाकर खेती की उपज को बढ़ाना चाहिए। मेरी विनती है सरकार से कि इस देश के जितने

पढ़े लिखे लोग हैं, जितने शानी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा वह खेती से दूर रहते हैं और बाहर जाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं। एक प्यून जैसा आदमी भी डेढ़ सौ रुपये कमाता है। लेकिन खेती इतनी बड़ी चीज होते हुए भी, उस पर काफी लोग रहते हुए भी, हिन्दुस्तान के 47 करोड़ लोगों का जीवन होते हुए भी, उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है, ऐसी हालत है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यह है कि उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय।

महाराष्ट्र के लिए 16 लाख टन धान या अनाज और 6 लाख टन बाकी सब दाल वगैरह कम पड़ता था। लेकिन अब की हालत यह है कि 55 से 60 लाख टन तक कम पड़ने वाला है इससे ज्यादा से ज्यादा वहां दिक्कत है। इस देश में सब लोग साथ रहते हुए भी अनाज के भाव देखने से मालूम होता है कि यहां पंजाब में गेहूं का भाव 40 से 50 रुपये क्विंटल तक है और महाराष्ट्र में 175 से 180 रुपये क्विंटल है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई दूसरा देश है या क्या है? पाकिस्तान बाजू और यहां की हद के अन्दर उसका रेट देखा जाय तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन यहां एक देश के होते हुए भी इतना ज्यादा से ज्यादा फर्क है। इसलिए मेरी विनती है कि सरकार को बेसिकली, बुनियादी विचार इस पर करना चाहिए। इसमें इधर उधर से पैचिंग नहीं हो सकता। तीन या साढ़े तीन हाथ कपड़ा है और पांच हाथ लम्बा आदमी है तो जब नीचे कम पड़ता है तो ऊपर से खींचे और जब ऊपर कम पड़े तो नीचे से खींचे, इस तरह की पालिसी करने से यह काम नहीं चलेगा। नतीजा क्या होता है? अभी तक बहुत नुकसान नहीं हुआ है। जब मैंने आंकड़ों में देखा तो 20 लाख 50 हजार टन कम पड़ता है, हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और हम ने देखा कि इम्पोर्ट ज्यादा से ज्यादा 40 लाख या 60 लाख टन तक 63 और 64 साल में किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि 5 परसेंट इम्पोर्ट हम करते हैं। पांच परसेंट भी हम दस बारह वर्षों में अपनी पैदावार नहीं बढ़ा सके तो हम ने क्या किया यह सवाल पैदा होता है। 88 मिलियन टन हमारे यहां पैदा होता है और कम पड़ता है 5 परसेंट। तो 17 वर्ष के अन्दर दूसरे इतने बड़े बड़े धन्धे बढ़ गये, सभी बातों में बढ़ाव हो गया लेकिन 5 परसेंट अनाज नहीं बढ़ा सकते तो। यह पालिसी गवर्नमेंट की जो है वह बेसिकली काश्तकारों की नहीं है बल्कि साहूकारदारों की है, वकालत करने वालों की है या डाक्टर लोग या शहरी लोग जो हैं, जो कि ज्यादा बोलते हैं, लिखते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ज्यादा करती है लेकिन प्रामाणिक तौर से आनेस्टली जो गरीब हैं, जो सूखी रोटी खाकर खेतों में काम करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की दृष्टि बिलकुल नहीं है। जो थोड़ी बहुत होती है तो जो कोण श्राप करके अनाज पैदा नहीं करते हैं, हम फिर उसके दरवाजे पर जाते हैं। यह पालिसी बिलकुल बदलने की जरूरत है। जैसा पहले कहते थे, हमारे यहां मराठी में एक पुरानी कहावत है कि "कणाने पेरावे मणाने घ्यावे" यानी कण कण में बोना और मन मन से लेना, ऐसी कहावत थी। लेकिन अब जो कहावत है वह यह है कि मणाने पेरावे व कणाने घ्यावे, मन मन बोना तो कोई कण मिलता है। ऐसी हालत हो गई है। तो ऐसी देश की हालत हो जाने के बाद और फिर अमेरिका से आने में हमें मिनिमम ... पैदा होता है। इसलिए इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ख्याल देने की जरूरत है। कितना अनाज पड़ता है, यह आंकड़ों में मैं बताता हूं। 1962 साल में फेयर प्राइस शाप से 40 लाख 30 हजार टन खपत हुई है। 1963 साल में 50 लाख 10 हजार टन और 1964 साल में

[श्री तुलशीदास जाधव]

80 लाख टन तथा 1965 में 90 लाख 60 हजार टन, यह फेयर प्राइस शाप से लोगों के पास गया और प्रोक्योरमेंट कितना हुआ। 1960-61 में 5 लाख 50 हजार टन और 1964-65 में 30 लाख टन प्रोक्योरमेंट किया। यानी 30 लाख 64 हजार टन का 1962 में इम्पोर्ट हुआ, 40 लाख 56 हजार टन 1963 में इम्पोर्ट हुआ, 60 लाख टन 1964 में और 60 लाख टन 1965 में इम्पोर्ट हुआ। 60 लाख टन मंगाया हुआ और 30 लाख टन प्रोक्योर किया हुआ अनाज इन दुकानों से बांटा गया। तीस लाख का प्रोक्योरमेंट हुआ और बाकी पचास या साठ लाख टन की कमी पड़ती है। मेरी प्रार्थना है कि हम को अन्य योजनाओं को छोड़ कर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि बरस दो बरस में अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि दो बरस में महाराष्ट्र स्वावलम्बी हो जायेगा। ऐसी ही प्रतिज्ञा केन्द्रीय सरकार को करनी चाहिए। कई वक्ताओं ने कहा वैसे श्री मालवीय जी ने कहा और हनुमन्तैया जी ने कहा कि यहां भाषण करने से कोई लाभ नहीं होगा, प्लान का डिसेंट्रेलाइजेशन होना चाहिए।

मेरा कहना है कि आप देहात के यूनिट को पकड़ो, यह देखो कि वहां कितनी जमीन है और उस जमीन का कितना मकदूर है, फिर प्लान करके अनाज का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करो। केवल यह कहने से कि इतना फर्टीलाइजर हो गया और इतना पानी हो गया इसलिए इतना उत्पादन हो जायेगा, कोई लाभ नहीं होगा। इन आंकड़ों से कोई फायदा नहीं हो सकता।

मेरी महाराष्ट्र के लिए सरकार से बार बार प्रार्थना है और खास कर के जो हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब हैं, जो कि काश्तकार के घर से आये हैं और जो काश्तकार के जीवन के बारे में जानते हैं, उनसे प्रार्थना है कि हमारे महाराष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा अनाज और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रदान करें।

Mr. Chairman: I would request hon. Members to stick to ten minutes each, so that we shall be able to accommodate as many Members as possible. If hon. Members are going to encroach upon that time to be given to others, then our sitting for one hour more after 5.30 p.m. will have no meaning. So, I would request hon. Members again to co-operate with me, and if necessary, if the House so desires, we shall sit even later than that. But let hon. Members see that they stick to ten minutes strictly.

Shrimati Lakshmikanthamma: Every year, the Food and Agriculture Minister used to give a rosy picture on the agricultural front, but this year, the very fact that he has said that we cannot dispense with the imports and for the present we cannot think of suspending imports, shows the gravity of the situation on the food front.

Yesterday, the hon. Minister had explained that the States had co-operated with him fully, and yet, due to the failure of the monsoons and other bad conditions—it was not so much the failure on the agricultural front as such—the present situation has come about; the food situation today is more a God-made one than the result of folly or failure of the human elements.

My hon. friend Shri Jashvant Mehta was saying that the States did no co-operate. But I would like to say that the States were enthusiastic and rather over-enthusiastic in the matter. As far as my State of Andhra Pradesh is concerned, the procurement order was issued in October, 1965 itself, and efforts have been going on in that direction. But, recently, as I have already said, nature has been very cruel to us.

I had visited my constituency on the 15th of this month again to study the conditions in my district. I may submit that my district is the worst hit in the whole of Andhra Pradesh. Even the surplus States like Andhra Pradesh and Madhya Pradesh are talking as if they are going to be deficit States to the extent of many lakhs tons of rice and other millets. The report of the Andhra Pradesh Government says that in my district of Khammam even 10 per cent of last year's production of millets would not materialise. Nearly 17 districts out of 20 are in this conditions. According to Government reports, there will be a deficit of 5½ laks tonnes in rice production during the kharif season, that is, there will be a production of 30 lakh tonnes as against 35.5 lakh tonnes last year. The fall in rice production during the rabi crop is also estimated to be 6 lakh tonnes. There has been no rain in the last week of September, in the whole October and November.

When I visited my constituency, it was a very painful sight to see the crops. In some places, the crops were not sown. Some were near tanks; but at the watering stage, the ryots are not able to water the crop at that crucial stage with the result that the plants are withering away. It has a most agonising sight to see.

The hon. Minister also mentioned about scarcity of fodder. We can at least talk about scarcity of food. But the dumb animals when they do not get fodder cannot even do that. How we are to meet this situation is also another problem before us.

Yesterday I was told in a friend's house that in Delhi the price of meat has come down very much because people from the villages are bringing these animals and selling them because they do not have fodder to feed them. When I visited by constituency last time, the Panchayat Minister of Andhra Pradesh was also there. He said that the Chittor district in Rayalaseema was in the worst drought condition. He went to a panchayat samiti to give them certain old he could. There they give him Rs. 1 lakh for the defence fund. Another panchayat samiti gave him Rs. 80,000 for the defence fund. He asked them: 'How' is it that with this condition, you are giving Rs. 1 lakh and Rs. 80,000 for the defence fund?' They replied, 'We will rather starved and die, but we will defend our freedom'. This is the spirit of the people.

For becoming really self-reliant, there bes to be a three-pronged drive to achieve self-sufficiency. It should be based on more production, equitable distribution and a voluntary cut in consumption. This is the only way to preserve our self-respect in the international field.

The Minister has rightly asked for the co-operation of all political parties since we are facing two enemies on our borders, and at the same time there is this situation. I hope all political parties will surely give him that co-operation necessary in this respect.

In a way, this situation has engendered is us a mood of self-reliance in so far as our requirements on the defence front and on the food front are concerned. If some people outside are taking advantage of the situation in which we are placed externally and internally and if they think that they can mix politics with food and can apply political pressure, they must understand that Indian public opinion is very sensitive. All freedom loving democracies must realise that India alone can counter the Chinese menace and save democracy in South East Asia. They must realise that it is advantageous and essential from the point of view of the preservation of democracy in this region that Kashmir should be with India rather than with Pakistan. The wall of Ladakh, the bulwark of defence against China will disappear if Kashmir goes to Pakistan. So even if they had been thinking on these lines, they must now rethink about this matter.

[Shrimati Lakshmikanthamma]

After so much discussion and the determined stand taken by us, the US Ambassador has now made it clear that PL 480 will not be used to shape our political thinking. But still, may be sometimes as friends, they think we are depending too much on them and therefore we should concentrate more and more attention on our own agricultural production and increase it to become self-sufficient. That may also be one of their ideas. Still, this misunderstanding is there that since a longterm agreement is replaced by a short-term one, this kind of doubt is still left in the public mind in India. Even some of the leaders in the United States also feel that they should continue this pipeline of supplies of foodgrains and even to the extent of 10 million tons a year, but still, as the Minister yesterday has pointed out, there is uncertainty and we do not know when the pipeline will break. So, our aim should be more to rely on ourselves.

Mr. Chairman: Please conclude within one minute.

Shrimati Lakshmikanthamma: Already a national tempo has been created that we should prefer to starve rather than accept any national humiliation in anyway. Our jawans have vindicated our national honour at the front, we should not spoil the picture that has been created by suffering any humiliation at the hands of any other country.

Mr. Chairman: Ten minutes are over. Swamiji.

श्री रामानन्द शास्त्री (रामसनेहीघाट) : सभापति महोदय, खाद्य समस्या के बारे में अपने विचार प्रकट करने का जो अवसर आपने मुझे दिया है, उस के लिए मैं आप को धन्यवाद करता हूं ।

माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के विचार सदन के सामने रखे हैं मैं इस विषय में केवल समालोचना नहीं करूंगा बल्कि मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा । सब से पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर पालिसी में मामूल परिवर्तन नहीं किया जायेगा, तो खाद्य समस्या हल नहीं होगी ।

हमारे देश में बहुत से कारखाने ऐसे हैं जिन्होंने हजारों बीघा जमीन घेरी हुई है, जो कई सालों से बेकार पड़ी हुई है जब तक वहां पर कोई काम शुरु नहीं होता है, तब तक के लिए उन जमीनों को जोतने बोने के लिए दे दिया जाए । उन्हीं जमीनों में हजारों मन गल्ला पैदा हो सकता है ।

कई ऐसे कारखाने भी हैं, जिनके लिए सरकार ने जमीन एलाट की है, लेकिन वह जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है और उस में न तो कोई काम हो रहा है और न कोई पैदावार हो रही है, जब कि वह अच्छी उपजाऊ जमीन है । ऐसी जमीनों को भी खेती के काम में लाया जाना चाहिए । इसी प्रकार रेलवे की भी हजारों बीघे जमीन पड़ी हुई है । वह जमीन काश्तकारों को जोतने के लिए इस शर्त पर दे दी जाए कि जब आवश्यकता होगी उनको ले लिया जायेगा । बड़े बड़े काश्तकारों के पास भी हजारों बीघे जमीन है, जो बंजर पड़ी हुई है जो गरीब मजदूर काम करने वाले हैं, जो अन्न पैदा करने में सक्षम हैं वे मजदूरी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसी जमीनें नहीं दी जाती हैं और वे बेकार पड़ी हुई हैं जब तक सरकार इस प्रकार की पालिसी में परिवर्तन नहीं करेगी, तब तक केवल लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा ।

सरकार जो रुपया देती है, उस की वितरण-व्यवस्था में भी कुछ गलतियां हैं । मैं ज्यादातर देहात में भ्रमण करता हूं । मुझे अनुभव है कि सरकार के द्वारा ब्लाकों में किसानों को बीज के लिए या दूसरे रूप में जितना रुपया दिया जाता है, उस का

दुरुपयोग होता है। आधी रकम तो सरकारी कर्मचारियों की जेब में चली जाती है अगर किसी गरीब किसान को गड्ढा खोदने के लिए दस रुपये मिलते हैं, तो उस में से पांच रुपये तो बी० डी० ओ० या ब्लाक के किसी सरकारी कर्मचारी की जेब में चले जाते हैं और बाकी पांच रुपये किसान वैसे खा जाता है। तो पांच रुपये में गड्ढा कैसे खोदा जाये और कम्पोस्ट खाद कैसे बने।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि वह एक विधेयक लाये, या वर्तमान कानून में संशोधन करे कि कोई भी किसान बिना पक्का गड्ढा बनाए कम्पोस्ट खाद न रखे और सरकार की तरफ से इसके लिए किसानों को पैसा दिया जाये।

चूंकि मैं खाद्य समस्या पर बोल रहा हूं, इसलिये मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से नहीं कहूंगा। मुझे दो चार सुझाव देने हैं। एक कानून बनाया जाये, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए बाध्य किया जाये। आज पशुओं के रखने की ठीक व्यवस्था नहीं है, इसलिये उनके पेशाब और गोबर को जला दिया जाता है। अगर गांव-गांव में गोबर-गैस प्लांट लगा दिया जाये, तो उससे कम्पोस्ट खाद भी मिल जायेगी और लोगों को खाना पकाने के लिये ईंधन भी मिल जायेगा। कम्पोस्ट खाद के गड्ढों के लिए सरकार की ओर से जो पैसा दिया जाता है, वह पड़ा रहता है। चूंकि रिश्वत दिये बिना किसानों को वह पैसा नहीं दिया जाता है, इसलिए वह लेप्स हो जाता है।

जहां तक खाद का सम्बन्ध है, को-आपरेटिव सोसाइटियों के सुपरवाइजर बहुत से फर्जी नाम भर लेते हैं और उस खाद को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं सरकारी कर्मचारी भी एजेंट से मिल जाते हैं और यह दिखला देते हैं कि खाद बांट दिया गया है वह खाद ब्लैक मार्केट में बिकता है। गवर्नमेंट के द्वारा खाद का जो दाम निश्चित किया गया है, किसान को उस पर खाद नहीं मिलता है। यद्यपि मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन मैं भी चालीस एकड़ का काश्तकार हूं। मुझे अनुभव है कि हमें खाद नहीं मिला, लेकिन दूसरों को दे दिया गया। पूछने पर मालूम हुआ कि उन्होंने ब्लैक में खरीदा है।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ब्लाकों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसमें सरकारी कर्मचारी शामिल हैं और सरकार इस बात को जानती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जाता है। आज स्थिति यह है कि आज ब्लाकों में विलेज वर्कर और ग्राम सेवक आदि अफसर बन कर जाते हैं लेकिन लोगों की कोई सहायता नहीं करते हैं और न ही उनको कुछ सिखाते हैं। मैं ने एक विलेज वर्कर को अपने मकान में साल भर मुफ्त रखा हुआ था। उस की हरकतों को देख कर मैं ने कहा कि तुम सब गड़बड़ करते हो, जब तुम स्वयं गोबर को लाकर जलाते हो, तो तुम प्रचार क्या करोगे। जब मैं ने उसको अपने यहां से हटने के लिए कहा, तो उसने मेरी शिकायत कर दी। मेरे यहां ट्यूबवैल बना हुआ है और मैं उससे सिंचाई करता हूं, लेकिन उस ने यह शिकायत कर दी कि स्वामी जी ने कोई कुआं नहीं बनाया है, इस लिये सब रुपया एक ही बार सूद के साथ इनसे वसूल कर लिया जाये मैं ने इस बारे में कलेक्टर को लिखा। उन्होंने जब देखा कि सचमुच कुआं बना हुआ है, तो उस विलेज वर्कर को हटा दिया गया। यह सरकारी कर्मचारियों का हाल है।

ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन को सरकार कोई दण्ड नहीं देती है। दुनिया में जो काम नहीं होता है, वह रिश्वत से हो जाता है और जो रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, वह फिर रिश्वत से छूट जाता है। हमारे नन्दा जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध इतना आन्दोलन किया, लेकिन मेरी निगाह में भ्रष्टाचार घटा नहीं है, बल्कि बढ़ गया है।

[श्री रामानन्द शास्त्री]

इसका कारण हम ही लोग हैं—मिनिस्टर हैं, सरकारी अफसरान हैं और हम भी हैं, मैं इस बात को मानता हूं। हम सब भ्रष्टाचार के बारे में चिल्लाते हैं, लेकिन वास्तव में किसे गर्व महसूस होता है। हमारे डिपुटी फूड मिनिस्टर के पास मेरा काम है। अगर मैं उनके बारे में कहूं, तो दूसरी चीज पैदा हो जायेगी, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं। भ्रष्टाचार जो हमारे अन्दर से चल रहा है। जब तक हम उसको यहां से नहीं मिटायेंगे, तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा।

18 hrs.

सरकार दूसरी खाद के लिए करोड़ों रुपया दे रही है। अगर वह किसानों को अनिवार्य रूप से कम्पोस्ट खाद के लिए गड्ढा खोदने के लिए कहे और इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा कम्पोस्ट खाद की व्यवस्था की जाये, तो खाद्य संकट को दूर करने में सहायता मिल सकती है। किसानों के पशुओं को बांधने के लिए सीमेंट के पक्के फर्श बनाए जाएं, ताकि उनके पेशाब और गोबर आदि को इकट्ठा करके गड्ढे में खाद की व्यवस्था की जा सके। आखिर ये ब्लाक किस लिए हैं? क्या ये ब्लाक विलासिता के केन्द्र बनने के लिए हैं? मैं ने हरिद्वार के पास एक बी० डी० ओ० को देखा है, जो रोजाना सवेरे गाड़ी लेकर दूर की चोटी पर पहुंच जाते हैं। जब दिखाया गया तब पता चला। उन को काम कुछ है नहीं। इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं और इन सारी की सारी चीजों के लिये गाली हमें खानी पड़ती है या सरकार को खानी पड़ती है। लेकिन सरकार के सामने हम लाते हैं तो वह भी कुछ कार्रवाई नहीं करती। जिस आदमी की हम शिकायत करते हैं उसी के सामने सारे कागजात ले जाकर रख दिये जाते हैं। यह नहीं कि किसी दूसरे आदमी से एन्क्वायरी कराई जाये और न्याय किया जाये। अगर नीचे वाले लोगों के कहने के अनुसार सारा काम करना है तो मोटे मोटे अफसरों को हजारों रुपये तनख्वाह देकर क्यों देश के ऊपर भार डाल रखे हैं। जिस आदमी के भ्रष्टाचार की शिकायत हम करते हैं उसी के पास सारे कागज पहुंच जाते हैं। इस तरह से आप कैसे काम कर सकेंगे। इस लिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े फार्म पब्लिक को दिये जायें और पब्लिक को सरकार हर प्रकार की ज्यादा से ज्यादा सहायता दे। तभी आप गल्ला पैदा कर सकते हैं। आज जो गांव के मजदूर हैं जो खेत में हल चलाते हैं उनके लिये कुछ नहीं किया जाता है और वकील, डाक्टर, और शहरों के रहने वाले लोगों के बड़े-बड़े दस-दस एकड़, पांच एकड़ के फार्म बने हुए हैं जो कि पंखे के नीचे बैठते हैं। मजदूरों को आज भरपेट खाना नहीं मिलता तो वह कैसे खेत में काम करेंगे। अगर बड़े-बड़े फार्म छोटे-छोटे काश्तकारों को दिये जायें और काश्तकारों की मदद की जाये तो वह आपका काम पूरा कर सकते हैं लेकिन जो मजदूर है जब उनको भर पेट रोटी नहीं मिलती है तो वे उल्टे काम करते हैं और दुनिया भर में हमें बदनाम करते हैं और कहते हैं कि उनको खाना नहीं मिलता। इस वक्त महंगाई इतनी है कि जिसका ठिकाना नहीं है। मैं जानता हूं कि इस समय भी मजदूरों को छः आने रोज मिलते हैं। भला उन छः आनों में वह पांच आदमियों का पालन कैसे कर सकेगा। हम को विचार करना पड़ेगा कि जो लोग इतना कम देते हैं वे सब भ्रष्टाचार के दोषी हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि जो बातें मैं ने बताई हैं उनके ऊपर मंत्री महोदय गौर करें क्योंकि यह देश के उत्थान में सहायक होगा।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : सभापति महोदय, मेरा समय समाप्त होने से दो मिनट पहले मुझे बतला दीजियेगा।

इस समय राष्ट्र के ऊपर जो अन्न का संकट है उसके लिये मैं तत्काल आरोप प्रत्यारोप किसी पर नहीं करूंगा। मैं छोटे-छोटे सुझाव दूंगा और वे सुझाव हैं दो प्रकार के। एक तो जो बचत करने के हैं जिन से दुर्भिक्ष का संकट दूर हो जायेगा और हमें विदेशों से अन्न नहीं मंगाना पड़ेगा। दूसरे कुछ आगे के लिये हैं।

पहले हमें यह काम करना चाहिये कि चावल पर जो पालिश की जाती है, जो चावल का बाहर का भाग उतारा जाता है, वह बन्द कर दिया जाये। इससे चावल में जो तत्व होता है उसका 10 प्रतिशत नष्ट हो जाता है। इस तरह से गेहूं और दालों के ऊपर जो छिलका-चोकर होता है उसको भी नहीं हटाना चाहिये। गेहूं चक्की में पीसा जाये, अन्न साफ हो लेकिन उस चोकर को न हटाया जाये। उसमें विटामिन आदि के तत्व अधिक होते हैं इस लिये उस के साथ ही अन्न खाया जाये। इस तरह से 10 या 15 प्रतिशत अन्न बचेगा।

एक माननीय सदस्य : चावल का तुष भी ले लिया जावे।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : उसे भी ले लो। क्यों घबराते हो। इसी तरह से दालों की चूनी है। दाल को धोकर नहीं, छिलका मत उतारें। इसी के साथ हम उन चीजों की खेती ज्यादा करें जैसे आलू, शकरकन्द, गाजर, मूली, सब्जियां, फल फूल, केले आदि फल, जो कि खेत में जल्दी उपजते हैं और अन्न को बचाने में सहायता पहुंचायेंगे। मुझे विश्वास है कि भगवान की दया से अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम अन्न का संकट दूर कर सकेंगे।

अगली चीज यह है कि मुर्गी और मछली पर बहुत बल मत दो। बल्कि तालाबों में सिंघाड़े डाल दो। वे कच्चे भी खाये जायेंगे, पकाकर भी खाये जायेंगे, मिठाई भी बन जायेगी और आटा भी बनेगा। सब चीजें इस से हो सकती हैं।

एक और चीज है खोपा जिस को गोला या कोकोनट कहते हैं उस में से तेल या घी जो चाहें निकाल लें, लेकिन बाकी जो चीज रह जाती है उसके आप बिस्कुट बनवा लें। इस तरह से वह भी अन्न का काम देंगे। यह हमारे बिल्कुल क्रियात्मक सुझाव हैं।

अब मैं आप से निवेदन करूं कि आप किसानों को सुविधा दीजिये, जिससे वह थोड़ा और आगे चल सकें। इस से हमारा अनाज का संकट दूर हो जायेगा और हमें बाहर से अन्न नहीं मंगाना पड़ेगा। जो आप की नहरें और नदियां हैं उनके किनारे पर आप जगह जगह पर झीलें बनायें ताकि जो बाढ़ का पानी आये वह इन झीलों में रुके। इसी तरह से नहरों के पास जो वर्षा का पानी ज्यादा आता है वह भी रुकेगा अगर उनके पास आप बड़े बड़े तालाब और झीलें बना दें। तो इस पानी को हम सिंचाई के काम में ला सकते हैं।

आप ट्यूबवैल लगायें लेकिन साथ में ऐसे कुएं भी बनायें। ट्यूबवैल वहां भी लगायें जहां पर बाढ़ आती हो, पानी ज्यादा हो जाता हो, सेम आता हो। वहां से आप उसे निकाल कर बाहर ले जायें जिस से बाढ़ में कमी आयेगी और वहां खेती अच्छी होती रहेगी।

इसी तरह से जो किसान हैं उन को आप प्रेरणा दीजिये। मान लीजिये किसी के पास पचास बीघे जमीन है तो उस पचास बीघे जमीन में पांच बीघे जमीन वह छोड़ दे और वहां लकड़ी पैदा की जाये। लकड़ी उस में हो, घास हो और उस के बीच के जोहड़ बना दिया जाये, कच्चा ही सही, ताकि बरसात का पानी भी उस में रुके। इस से सब्जी चारा आदि बोने के सम्बन्ध में आप लाभ उठा सकते हैं।

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

दूसरी बात यह है कि गुड़ पर जोर दिया जाये, चीनी पर नहीं। क्योंकि गुड़ में एक फायदा है। उसे दूध के साथ भी खाया जा सकता है और छाछ के साथ खाया जा सकता है। जो मजदूर कोल्हू वगैरह में काम करते हैं, उन को जा कर आप देखिये, वह रस भी पीते रहते हैं और छाछ ला कर उसके साथ भी काम में लाते हैं। छाछ गांव में मोल तो मिलता नहीं है इसलिये उन मजदूरों को मिल जाता है। गुड़ पकता रहता है उस को खा कर वह एक-एक दो-दो समय अन्न खाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। इसलिये सरकार को गुड़ पर ज्यादा जोर देना चाहिये।

हमारे यहां चीनी बनती है तो उसके सम्बन्ध में एक बात की याद दिला देना चाहता हूं। अभी मैं जिला मेरठ में गया था। वहां दो मिलें हैं। जो बीच का हिस्सा है वहां से एक मिल नजदीक पड़ती है, लेकिन उस में गन्ने को जाने नहीं दिया जाता। जो मिल दूर पड़ती है वहां किसानों को मजबूर किया जाता है कि वहां अपना गन्ना भेजें क्योंकि जिन का इंटरेस्ट है वे लोग सरकारी लोगों से मिले हुए हैं। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और ऐसी सुविधा देनी चाहिये कि किसानों के नजदीक जो मिल हो उस में वह गन्ना ले जायें।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बा० रा० चह्वाण) : मिलों का नाम बतलाइये।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : नाम बता देता हूं। एक दौराला है और एक बागपत। मेरठ जिले में ये दोनों मिलें हैं। किठौली गांव वाले दौराला मिल को भेजें इस की मंजूरी भी दे दी गई लेकिन लोग केन कमिश्नर के पास पहुंचते हैं या मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं, और वे लोग मजबूर करते हैं कि नहीं तुम बागपत ले जाओ, यद्यपि बागपत दूर पड़ता है। इससे किसानों का हर्ज होता है। मैं गांव का नाम भी बतला रहा हूं कि किठौली है और मेरठ जिले में दोनों मिले हैं। मैं ने दोनों का नाम ले दिया है।

मिलों के साथ में एक बीज किसानों के लिए और बहुत आवश्यक है। कुछ लोग ट्रैक्टर वगैरह रखते हैं और साथ में ट्राली भी रखते हैं। ट्राली में गन्ना भी ले जाते हैं और मिल में पहुंचाते हैं। जिन समय खेत में खाद भेजनी होती है उस समय उस को भी उसमें ले जाते हैं, मंडी में अनाज और गुड़ ले जाते हैं तो भी ट्राली में भर कर ले जाते हैं। इस से खाद्य मंत्री का काम तो ठीक होता है क्योंकि उन्हें सुविधा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री वाले उन पर टैक्स लगा रहे हैं। इस लिये तंग और मजबूर हो जाते हैं। मैं ने एक गाड़ी को स्वयं देखा। एक थाना है उसके बाहर उसको रोका गया और कहा गया कि इस का टैक्स दो। अगर नहीं देते तो अदालत में ले जा कर उन पर जुर्माना किया जाता है। इसलिये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को यह कहना चाहिये कि खेती के काम में जो ट्राली लाई जाये उस पर टैक्स न लिया जाये।

तम्बाकू वगैरह के जो खेत हैं उनको कुछ समय के लिये तो बन्द कर ही दिया जाये। यह काम मैं जरूरी समझता हूं। जहर बोयें और अनाज न बोयें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

सड़कों के ऊपर और नहर की पटरियों पर कुछ फलदार पेड़ लगाये जायें, जैसे आम हैं, जामुन है। यह पेड़ लकड़ी भी देते हैं और फल भी देते हैं। इस तरह के पेड़ लगाने से राष्ट्र की अनाज की समस्या भी हल होगी और लकड़ी भी बराबर मिलती रहेगी। इसी के साथ किसानों के पास बेकार भूमि है। उस में से पांच बीघे छोड़ें जिस में जो डंगर हैं गाय वगैरह वह भी चरती रहें।

इस से हमें गायों से घी दूध मिलेगा और जितना घी दूध खाया जायेगा उतना अन्न कम लगेगा और उसकी बचत होगी और पौष्टिक पदार्थ भी मिलेंगे। और गो आदि की रक्षा भी होगी जिसके ऊपर कि हमारा राष्ट्र निर्भर है। गो के ऊपर हमारी सारी खेती निर्भर होती है।

इसी तरह जैसे कि सरसों वगैरह की खली है, इसको बाहर भेजने से आप को 25 करोड़ रुपये सालाना मिलते हैं। लेकिन अगर यह न भेजी जाय और खेतों में डाल दी जाय तो एक अरब रुपये का अन्न ज्यादा पैदा होगा। इसलिए खली बाहर भेजना बन्द कर दें। और बिजली का, जो रक्षा के काम है या खेती के काम है उनमें बिजली का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। ट्यूबवेल में मैंने देखा, ट्यूबवेल आपरेटर एक घंटा ट्यूबवेल चलाने के लिए दो रुपये रिश्वत मांगते हैं और एक और खराबी है, जो ट्यूबवेल चार साल पहले बना हुआ था, जब सरकार से कहा जाता है कि और ट्यूबवेल लगाओ तो वह बोर्ड हटाकर के नया बोर्ड लगा देते है और कह देते हैं कि हम ने नया बनाया। मैं खुद चलकर के दिखा सकता हूं। जो बिजली के और नहर के कर्मचारी है उनको कम से कम किसानों का हितैषी होना चाहिए, वह समझें कि कब पानी चाहिए, कितनी सिंचाई चाहिए। लेकिन वह बेचारे ऐसे भेजे जाते है कि सात पीढ़ी तक जिनके यहां खेती न हुई हो, उनको लाकर वहां बैठा देते हैं। छोटी छोटी भूमि का बटवारा बन्द कर दीजिये और एक हद मुकर्रर कर दीजिये। गांवों में प्रचार का जो आपका साधन है, अंग्रेजी का तो कोई जानता ही नहीं और हिन्दी में भी जो आता है तो उससे भी बड़ी मुश्किल होती है। तो आप डी० सी० को कहिये कि वह हर गाव में खेती के जो साधन हैं उनकी मुनादी करवावे कि किसानो तुम्हारा इसमें फायदा है। इससे तात्कालिक भी लाभ होगा और आगे के लिए भी लाभ होगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : सभापति जी, आज देश के सामने दो बड़ी समस्यायें हैं। एक देश की सुरक्षा की तैयारी करना और दूसरे देश के अन्दर अधिक से अधिक अन्न पैदा करना। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है सभी लोग इसके लिए एक राय होकर तैयारी कर रहे है और लोगों ने इसका परिचय भी दिया है जब पिछले दिनों में पाकिस्तान ने देश के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन देश की सुरक्षा के काम में सफल होने के लिए भी यह जरूरी है कि देश के अन्दर जो अन्न उत्पादन का काम है उसमें हम अधिक से अधिक सफल हो सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक सरकार के काम करने का जो तरीका रहा है, सरकार की जो खाद्य नीति है खास तौर से अन्न उत्पादन करने की जो नीति है अगर यह पुरानी नीति कायम रही तो जैसा हमारे भाई काश्मीर के श्री मल्होत्रा ने कल ठीक ही कहा कि 1971 तक भी हम सेल्फ सफिशियेंट यानी अपने देश के अन्दर जो अन्न उत्पादन किया जायगा उसके ऊपर अपने को निर्भर कर सकें, यह आशा कभी पूरी होने वाली नही है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि 1971 तक ही नहीं बल्कि उससे दो चार पांच वर्ष आगे का समय भी अगर कहा जाय तो उसमें भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक अन्न उपजाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वह है सिंचाई का प्रबन्ध, सिंचाई की व्यवस्था। लेकिन देश के अन्दर करोड़ों एकड़ जमीन सूखी पड़ी हुई है। खास तौर से गंगा के किनारे जिसको गैंजेटिक वैली कहते है जहां पर थोड़ी सी सिंचाई की व्यवस्था होने से वहां पर दुगुना अन्न पैदा हो सकता है। सरकार यह कहती है कि कुछ राज्य हमारे देश के अन्दर ऐसे है जहां पर अधिक अन्न उत्पन्न होता है जिसको सरप्लस स्टेट कहते हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अन्न उत्पादन की कमी है, उसको

[श्री ग० प्र० शर्मा]

डेफिसिट स्टेट कहते है । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यह सरप्लस और डेफिसिट स्टेट कैसे बने, क्यों बने ? इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ? सिवाय प्रथम पंचवर्षीय योजना के हम ने सिंचाई के लिए कौन से काम किये हैं जिससे कि देश के अन्दर अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन हो सके । पिछले दस वर्ष में हम ने बराबर जोर एक ही बात पर दिया और वह दिया देश के औद्योगीकरण पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन आज जो अन्न की कमी इतनी बड़ी विकट समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, मैं समझता हूं कि अगर पिछली दो योजनाओं में द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में पहली पंचवर्षीय योजना की तरह अगर अन्न उत्पादन करने के ऊपर जोर दिया गया होता तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, कि सरकार सिंचाई की सुविधा देने का जो सवाल है उसकी नीति में परिवर्तन करे और खास तौर से उन सूबों के अन्दर जो कि डेफिसिट स्टेट कहे जाते है वहां पर अधिक से अधिक सिंचाई की व्यवस्था करे । इस सम्बन्ध में खास तौर से मैं अपने सूबे के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उनको सदन के टेबल पर रखना चाहूंगा । इनको देखने से आश्चर्य होगा कि यू० पी० जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य है उसके बाद बिहार है या और दूसरे राज्य हैं । यू० पी० में करीब करीब 1 । हजार ट्यूबवेल लग गये हैं और इसी तरह से बिहार में 5 हजार लगाये गये हैं । लेकिन अगर मद्रास को देखें तो वहां पर 1 लाख 35 हजार ट्यूबवेल लगाये गये है । तो अब ये (यू० पी० और बिहार) स्टेट डेफिसिट नहीं होने तो क्या होंगे । जहां पर सिंचाई की ऐसी असुविधा है, वहां पर अधिक अन्न कैसे पैदा हो सकता है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि दो वर्ष हो गये, दो वर्ष से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र (दरभंगा संसदीय क्षेत्र) में जो गंगा के किनारे की बड़ी उपजाऊ भूमि है मैंने सर्वे कराकर दिया है, प्रधान मंत्री को भी लिखा है और खाद्य मंत्री को भी लिखा है, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में भी रखा है, और मैंने एक चैलेंज दिया है कि उस 1 लाख 35 हजार एकड़ जमीन में वहां पर कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां अगर सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाय, दो सौ ट्यूबवेल लग जायें जिनकी कीमत । करोड़ 20 लाख रुपये होगी तो वहां पर 35 से 40 हजार टन तक अधिक अन्न का उत्पादन हो सकता है । मेरे सूबे के अन्दर आज जो अन्न की कमी है, वह 11 से 13 लाख टन सालाना है जो बिहार की राज्य सरकार केन्द्र से देने की मांग करती है और केन्द्रीय सरकार प्रति मास 35 से 40 हजार टन से अधिक बिहार सरकार को अन्न नहीं दे पाती हैं । तो इस तरह से मैंने सरकार को बतलाया है कि अगर उस क्षेत्र को आबाद किया जाय, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जाय तो 35 से 40 हजार टन अधिक अन्न एक फसल में, दो फसल में नहीं, पैदा हो सकता है जो कि बिहार सरकार के एक महीने के डेफिसिट को पूरा कर सकता है । इस तरह से जहां जहां भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए ।

खाद्य मंत्री की जो यह पत्रिका निकली है इन्क्रीजिंग फूड प्रोडक्शन इन दिस कन्ट्री, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं । उनके कहने के मुताबिक खाद या फर्टिलाइजर यह अधिक से अधिक लोगों को देना चाहते हैं । उसका नतीजा क्या होगा ? फर्टिलाइजर उसी जगह में उपयोगी हैं, सकेगा जहां सिंचाई की व्यवस्था है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, किसानों को कोई भी ऐसी चीज देने की जरूरत नहीं है । जब हम लोग गांवों में जाते हैं तो किसान की एक ही मांग होती है कि हमारी सूखी

जमीन में तुम पानी दो, हम जानते है कि हम कैसे अधिक अनाज पैदा कर सकते हैं। हर किसान इस बात को जानता है। प्रधान मंत्री ने देश को आश्वासन दिया इस सदन के जरिये से कि जहां तक खेती का काम है उसमें रुपये की कमी नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री और सरकार, खाद्य की जो अन्न उत्पादन करने की उनकी नीति है उस में परिवर्तन करें और सब से पहले सारा काम बन्द करके जहां जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, किसानों को पानी दें और इस देश का किसान अन्न उत्पादन करेगा, तभी जो अन्न का अभाव है वह पूरा हो सकता है।

मैं वितरण वगैरह के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। वितरण के अन्दर जो परेशानी और दिक्कत होती है वह इस लिये होती है कि अन्न का अभाव है। जिस चीज की कमी होती है उसी के वितरण का भी सवाल पैदा होता है। अगर चीज अधिक से अधिक पैदा हो तो वितरण का सवाल हमारे सामने नहीं आ सकता। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ अपने खाद्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बात का मैंने जिक्र किया है उस पर ध्यान दें और अगर चाहें तो उनको चल कर देख लें।

एक बात और अन्त में कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो लघु सिंचाई योजना है वह तो कृषि मंत्रालय के अधीन है जैसे ट्यूब वेल इत्यादि, जिनको माइनर इर्रीगेशन भी कहते है। और बाकी जो सिंचाई का काम है वह सिंचाई विभाग के अधीन है। नतीजा यह होता है कि कृषि विभाग की तरफ से अगर ट्यूबवेल लगाया जाता है तो उस ट्यूबवेल में बिजली का कनेक्शन पावर और इर्रीगेशन विभाग द्वारा देर में लगाया जाता है क्योंकि बिजली उनके अधीन है। इसका नतीजा यह होता है कि जो ट्यूबवेल लग जाते हैं उन में से बहुत से बिजली न मिलने के कारण बेकार पड़े रहते हैं। इसलिए आखिर में मेरा यही सुझाव है कि जो भी सिंचाई का काम है उसको एक ही मंत्रालय के अधीन कर दिया जाए, माइनर इर्रीगेशन को भी अगर ऐसा नहीं होता है तो कृषि मंत्रालय माइनर इर्रीगेशन के काम को सब से पहले ले, इसके बाद फर्टिलाइजर आदि की बात करे।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। आज का यह मौका मैं अपने लिए नहीं लेना चाहता था लेकिन मैं इस बात को साबित करना चाहता था कि पार्लियामेंट के सदस्य खास तौर से कांग्रेस पार्टी के सदस्य देश की हालत से इतने ज्यादा चिन्तित है कि अधिक समय में बैठ कर भी सरकार को सुझाव देने को तैयार है। देश की खाद्य समस्या सुरक्षा समस्या के बाद सब से महत्वपूर्ण समस्या है और इस कारण इसका समाधान होना चाहिए।

Mr. Chairman: I think I can accommodate only one or two more within the time extended by the House. If it is the desire of the House to sit some time more, I am prepared. What is the desire of the House?

श्री हुकम चन्द कछवाय : अगर इस समय को उसमें न जोड़ा जाए तो हम सात बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं।

Mr. Chairman: So we sit for some time more. We sit upto 7.00 p.m.

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे भय था कि कहीं ऐसा न हो कि आज भी मुझे बिना बोले चला जाना पड़े।

कल मैं माननीय खाद्य मंत्री महोदय का भाषण बड़े ध्यान से सुनता रहा। । जब कभी खाद्य स्थिति पर यहां बहस प्रारम्भ होती है तो मैं खाद्य मंत्री महोदय का भाषण बड़े ध्यान से सुनता हूं। लेकिन हर बार से इस बार मैंने उनके भाषण में अन्तर देखा। अभी तक बिहार को वह एक डेफिसिट स्टेट

[श्री राम शेखर प्रसाद सिंह]

बताते थे और इस वक्त जब कि सारे देश में और इस सदन के अंदर कोनों से यह आवाज आ रही है कि यह स्थिति संकट की है, और सारे देश में अकाल की परिस्थिति हो गई है, उस समय उन्होंने ऐसा एलान किया कि बिहार में खाद्य की स्थिति संतोषजनक है। इस ऐलान से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिये कि जिस प्रकार उन्होंने आज पिछले दो वर्षों में अन्न की कमी के समय बिहार में ठीक समय पर अन्न नहीं पहुंचाया, और जो अन्न उसको देने का कमिटमेंट किया था उसको भी नहीं पहुंचाया, उस पृष्ठ भूमि में मुझे सन्देह हो रहा है कि क्या सारे बिहार को भूखा मारने का उन के मन में षड्यंत्र है। इसलिये मैं उनके भाषण को सन्देह की निगाह से देखता हूं और आपके मारफत प्रधान मंत्री महोदय से अपना यह सन्देह जाहिर करना चाहता हूं, और कहना चाहता हूं कि वह ऐसा न समझें कि बिहार में खाद्य की स्थिति अच्छी है। बिहार की भी स्थिति वैसी ही है जैसी कि सारे देश की है। यह बात सच है कि मकई के वक्त में उत्तर बिहार में मकई जरूर हुई थी।

मैं आपसे निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सभी राज्य हिन्दुस्तान के बराबर के भागी है और एक प्रदेश में अगर कोई चीज पैदा होती है तो उस चीज का उपभोग करने का दूसरे प्रदेश को भी बराबर अधिकार है। लेकिन खाद्य मंत्री महोदय ने पहले जोनल सिस्टम बनाया और देश में एक जगह से दूसरी जगह अनाज ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इससे राष्ट्रीयता की भावना पर कुठाराघात होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी प्रदेश में कोयला पैदा होता है, लोहा पैदा होता है, अबरक पैदा होता है, सीमेंट पैदा होता है या और ऐसी चीजें पैदा होती है तो उनको दूसरे राज्यों में पहुंचा कर उसी दाम पर उनका उपभोग करने का अधिकार अन्य मांगों को भी दिया जाता है। लेकिन उन राज्यों में जिन में ये चीजें दूसरे राज्यों को भेजी जाती हैं, अन्न न भेजना राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध है। ऐसा होने से उस राज्य के लोगों के दिलों में यह भावना पैदा होती है कि हमारे साथ भारत सरकार अन्याय कर रही है, हमारी चीज को तो ले जाती है पर हमको अन्न नहीं पहुंचा रही है। आज जब कि सारे देश की परिस्थिति एक समान हो गयी है, मैं समझता हूं कि इस वक्त तो सद्-बुद्धि जाग्रती चाहिए और जोनल सिस्टम को तोड़ देना चाहिए।

मैं आपसे निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री महोदय ने ऐलान किया है "जय जवान" "जय किसान"। मैं इस स्लोगन को कोई दो बात नहीं समझता, क्योंकि जो आदमी किसानी करते हैं वही आदमी जवान बन कर युद्ध मोर्चे पर जाते हैं। आप मानेंगे कि देश में आज 80 प्रतिशत लोग किसानी करते हैं और ज्यादातर इन्हीं के बच्चे आज जवान बन कर खून देकर देश की रक्षा करते हैं। खून देने वाले खून दे कर रक्षा करते हैं और उनके माता पिता घर में रह कर किसानी करते हैं और देश को अन्न देते हैं जो कि आपको और हमको खाने को मिलता है।

आपने पहले बड़े शहरों में राशन देने की बात कही है। जो आपका सरकुलर गया है देहातों में हमने उसको देखा है। उस में ऐसा है कि जिस आदमी के पास पांच या पांच एकड़ से अधिक भूमि हो उसको अन्न नहीं मिलेगा। यह कितनी अन्यायपूर्ण बात है कि जो अन्न पैदा करते हैं उन्हीं को अन्न नहीं दिया जायेगा। अगर किसी कारण उस आदमी के पास अन्न नहीं रहे तो उसे आप अन्न नहीं देंगे जब उससे ले कर शहर के लोगों को दिया जाता है, क्योंकि वे शहर में रहते हैं और शहर वालों की जो म्युनिसिपल एरिया के बाहर जमीन है उसको पैदा देख कर वे पैसा कमाते हैं। मैं निहायत

सदन के साथ अपने मंत्री महोदय के पास देहात के गरीबों का संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो गरीब किसान हैं उनके साथ भी उचित व्यवहार कीजिए। आप अन्न देना चाहते हैं तो सब को दीजिए, और अगर आपके पास अन्न की प्रचुरता नहीं है तो छोड़ दीजिए, सारे लोग अपना इन्तजाम कर लेंगे। जो अन्न आप देते भी हैं वह उन को पूरा नहीं देते हैं।

वसूली की जो नीति आपने अपनायी है वह भी न्यायपूर्ण नहीं है। अभी हमारे दोस्त सरयू पांडेय ने सदन में कहा, बिहार की स्थिति बताते हुए, कि वहां कहा गया है कि तीन एकड़ से ज्यादा जिन लोगों के पास जमीन है उनके यहां पैदा हो या न हो उनको धान देना होगा। जिस व्यक्ति के पास धान नहीं भी है उसको भी धान देना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी योजनाओं को ऊपर के लोग बनाते हैं और वे नीचे तक चली जाती हैं। जो लोग इन योजनाओं को बनाते हैं वे आम लोगों की दिक्कतों को नहीं समझते। इसी कारण वे ऐसे लोगों से जबरदस्ती अन्न वसूल करने की बात करते हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर मोनोपली कीजिए तो सारा सामान सरकार खरीदे, नहीं तो रेगुलर चैनल व्यापार को चलने दें।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि खेती के काम को दो प्रकार के लोग करते हैं, एक किसान और दूसरे सेक्रेटेरियट में एयरकंडीशन्ड कमरों में बैठने वाले बाबू। लेकिन किसान के दृष्टिकोण में और बाबू के दृष्टिकोण में बड़ा फर्क पड़ता है। वह फर्क इस तरह पड़ता है। अभी मैं अपने प्रदेश में गया था एक तरफ तो प्रधान मंत्री महोदय कहते हैं कि अन्न बढ़ाओ। मैं आपको बताता हूं कि हर किसान अपनी पूरी महनत से और अपने सारे साधन लगा कर पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन उस किसान के पास ऐसी शक्ति नहीं है जिसका उपयोग करके वह आपको ज्यादा अन्न दे सके। जो भी शक्ति, जो भी साधन सरकार के पास हैं, उन्हीं को दे कर सरकार पैदावार बढ़ा सकती है।

एक ओर तो सरकार कहती है कि अधिक अन्न पैदा किया जाय और दूसरी ओर प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक बेवक्त की शहनाई बजती है। प्लानिंग कमीशन ने राज्य सरकारों को लिखा है कि पानी, बिजली और लगान की दर बढ़ाई जायें। आपने अभी देखा कि रूस का ट्रैक्टर, जो कि चौदह हार्स पावर का है, छः हजार रुपये में बिकता था, लेकिन उसके दाम में चार हजार रुपये और बढ़ा दिये गए हैं। इस लिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस प्रकार की अव्यावहारिक नीतियों को न अपनाये।

पानी के लिए माननीय सदस्य, शर्मा जी, ने बहुत जोर से कहा है। मैं उन से सहमत हूं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में गंडक योजना एक सिंचाई योजना है। राजेन्द्र बाबू जब खाद्य मंत्री थे, तब उन्होंने उस को प्रारम्भ किया था। मरने से पहले राजेन्द्र बाबू ने अपनी आंखों में आंसू भर के हमारे प्रदेश के मंत्री श्री दीप नारायण सिंह से कहा, "दीप बाबू, क्या हमारा जिन्दगी में गंडक योजना न बनी"? इस भावना को लिए वह चले गए। मैं समझता हूं कि दीप बाबू भी चले जायेंगे, लेकिन गंडक योजना को कोई देख नहीं सकेगा।

गंडक योजना में केवल 52 करोड़ रुपये लगेंगे और उस के द्वारा 2.50 करोड़ मन पैदावार वहां होगी। गंडक योजना सब में कम दाम में सब से ज्यादा लाभ देने वाली योजना है। मैं सिंचाई विभाग से निवेदन करूंगा कि गंडक योजना को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाये। इस से नार्थ बिहार के मुजफ्फरपुर, चम्पारन, दरभंगा और सारन जिलों को फायदा होगा, नेपाल की भूमि की सिंचाई होगी और गोरखपुर और देवरिया को भी फायदा होगा।

मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहता हूं। राजेन्द्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम कृषि मंत्री थे। बिहार में कोई भी कृषि विश्वविद्यालय युनिवर्सिटी

[श्री एम० गोवर प्रसाद सिंह]

नहीं है। इस लिए छपरा जिला में उन के जन्मस्थान में उन के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये। यह उन के प्रति श्रद्धांजलि भी होगी और कृषि के काम में भी उन्नति होगी। चूंकि कल उनका जन्मदिन है, इस लिए इस अवसर का लाभ उठा कर वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का एलान कर दिया जाये।

Shri Kappen (Muvattupuzha): Mr. Chairman, grim as the food situation today is, it has led to suggestions, amateurish suggestions, which if put into practice, would ruin this country. Following the broadcast by the Prime Minister on the food situation, many amateurish suggestions like diverting land from cash crops, ploughing up gardens and road margins for cultivation of vegetables have been put forward. It shows a confusion of thinking. In a crisis, it is but natural that there is some confusion. But we here who are responsible for formulating national policies should have clear thinking on these matters. Our thinking must be clear, constructive and divorced from all slogans and petty ideologies to which we are accustomed.

There is no purpose in finding fault with each other. On the other hand, the problem can be solved only by clear thinking and dynamic action. The Prime Minister has given us a slogan, 'Jai kisan, jai jawan'. This, according to me, epitomises in two words what our entire approach should be to the problem. In railway stations, I have found stalls being erected for catering to the jawans. But I was not able to see even one stall for the kisans. Here I am not pleading for stalls for the farmers. But I want this House and the country to have an awareness of the importance of the farmer in any programme of agricultural production. The difficulty in India about agricultural production is that it has to come from millions of tiny farms in the far-flung villages of India and during these 18 years we have not been able to reach the farmer properly and energise him and make him understand the necessity of producing more in this country. It is only by energising the farmer that we can succeed in any scheme of increased production.

I speak of energising the farmer, but why should the farmer alone make a sacrifice for the country? What are the benefits that he is going to derive? When it is a question of fixing the price for agricultural commodities, we forget that the farmer is also a person who consumes many of the commodities that are produced in the country, that the farmer is also entitled to share in the prosperity of the nation. When you want the farmer to use more fertilisers, better methods of cultivation, better instruments of production, you must remember that his cost of production is increasing thereby, and unless you are prepared to give a remunerative price to him and improve his social status, you are not going to succeed in your drive for more production. Give the farmer a better status, give him the assurance of a better remuneration, then you simply sit quiet here, and you will see that wonders are worked in this country. But we have never cared for the farmer, we have never understood that his cost of production is increasing, over and above the heavy taxes to which he is subject. He has to pay the betterment levy. If you have given him irrigation facilities, he has to pay the water cess. So, his cost is increased.

I am myself a farmer. I have got an acre of paddy land. I am producing one crop on that. I can produce probably one more crop, but then the cost will be double that of producing one. Who is going to pay me if I produce one more crop? The distribution officer will come and cut my ration by so much. If I am producing 100 measures today, he will collect 150 that is what is being done in Kerala today. Which farmer is going to produce more?

Again, my land is subject to submersion by floods and in summer it is subject to drought. Suppose I am

to produce another crop, that may be lost to me by either flood or drought. Who is going to pay me? What social benefits am I getting as a farmer? You are providing better and better social amenities to the Government employees and the organised factory labour, but to the farmer what social benefits are you giving? I would request the Government to immediately introduce crop insurance in this country so that the farmer may not be affected in case he loses his crop. The U.S.S.R., U.S.A., Japan and many other countries have introduced a scheme of crop insurance. This is an immediate necessity to give the farmer an assurance that in case of loss of his produce, he is going to get something. In that case, I assure you wonders will be worked by our farmers.

I do not want to speak about long-term programmes, it is not relevant in the context of the present emergency. I am just pointing out some crash programmes. I read through the pamphlet published by the Ministry of Food and Agriculture. In para 48 of that report it speaks about fisheries development. In a highly deficit State like Kerala, where all the land that is possible to be brought under cultivation has been brought under cultivation, the only possible method by which food can be increased is by production of subsidiary crops like tapioca and fish. We are now cultivating about 4·5 lakhs of acres with tapioca and by a little more manure and better methods of cultivation this crop can be doubled or even trebled, easily. Tapioca is deficient in protein; it cannot be eaten alone as it will produce diseases like beri-beri, etc. Fish is rich in proteins. Tapioca, fish and rice would form a balanced diet. By an investment of Rs. 7-8 crores the present production of fish can be doubled or trebled. At present the production in Kerala of fish is about 3,10,000 tons. Of these 75,000 tons are exported to other States in India and 2,000 tons to foreign countries. If you could buy some trawlers for deep sea fishing by an investment of about Rs. 3 crores, the present catch of fish can be increased by 1,42,000 tons. By mechanising 100,000 boats at a cost of about 4 crores, you can catch 80,000 tons more fish. By supplying fishermen with 1600 ordinary country boats you can produce another 60,000 tons. The total comes to 1,82,000 tons on an investment of Rs. 7-8 crores. Fish that is caught in the waters of Kerala are very much appreciated and valued in countries like the United States. It is estimated that on an investment of Rs. 3 crores on trawlers, the return will be Rs. 2,10,000 annually. This is a very good investment and I urge upon the Government to see that this is immediately put into practice so that their target of 1·94 million tons could be achieved. For want of time, I conclude my speech here.

श्री हुक्म चन्द कछवाय: सभापति महोदय, हमारे देश में अन्न का संकट है और इस विषय में हम दो दिनों से चर्चा करने चले आ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बतलाया कि देश में अन्न का संकट है और कुछ ने शासन की त्रुटि बतलाई। किसी ने बतलाया कि पानी कम हुआ है। इस कारण से हमारे देश में अन्न की कमी पैदा हुई है। मैं यह बात मानता हूं कि भगवान की कृपा इस वर्ष हमारे ऊपर ठीक नहीं रही और इस कारण से वर्षा कम हुई तथा अनाज ज्यादा पैदा नहीं हो पाया। फिर भी हम को चाहिये कि हम इस स्थिति पर विचार करें।

आज हम इस बात का नारा देते हैं, विशेषकर जो हमारा दल है वह यह कहता है कि तुम हमें पानी दो, हम तुम को अन्न देंगे। हमारी जमीन में बहुत सा पानी है। अगर वह हम को ठीक प्रकार से मिलता है तो हम तुम को अनाज दे सकते हैं। काश्तकार भी यही कहता है कि हमें पानी चाहिये, हम तुम को अनाज दे सकते हैं। लेकिन पानी के लिये एक क्रांतिकारी आन्दोलन होना चाहिये, इस सरकार को बहुत समझ से और ज्यादा ध्यान दे कर इस ओर

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

कदम उठाने चाहियें। सिंचाई के लिये ट्यूबवैलों और छोटे छोटे कुएं खोदने की योजनायें होनी चाहियें, जिनसे हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके।

आपको पता होगा कि अभी जब देश पर संकट आया, पाकिस्तान ने आक्रमण किया दिल्ली के अन्दर ट्राफिक्‌ प्रोब्लम की जो सारी समस्या थी जन संघ के कार्यकर्ताओं ने उसे हल किया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम जन संघ के कार्यकर्ता आपको देते हैं। आप हमको पानी दीजिए हम आपको काफी तादाद में अन्न पैदा करके देंगे। मैं ने अनेक बार रेलवे मंत्री से यह सवाल पूछे कि रेल की पटरियों के पास जो हजारों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है जहां पर हम अन्न पैदा कर सकते हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। हमें अनेक बार आश्वासन दिया गया कि हम विचार करेंगे, हम विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि रेल की पटरियों के पास जो खाली जमीन है वहां हम अनाज पैदा करें। अब समय आ गया है कि हम इस ओर कदम बढ़ायें और अन्न ज्यादा पैदा करें।

जहां तक किसानों का सम्बन्ध है किसानों को ज्यादा सहयोग चाहिये, उनको ज्यादा प्रोत्साहन और सहूलियतें मिलनी चाहियें। अगर उन्हें ज्यादा बढ़ावा दिया जाये तो किसान ज्यादा तादाद में परिश्रम और मेहनत करके अपने काम को करेंगे और देश में जो अन्न संकट आया हुआ है उसको दूर करेंगे। हमने देखा कि, काश्तकार से जब अनाज लिया जाता है तो उसे बहुत कम दामों में लिया जाता है, लेकिन जब वही काश्तकार बाजार में अनाज लेने के लिये जाता है तो उसे काफी दाम देने पड़ते हैं। काश्तकार को ईमानदारी से उस का पूरा दाम मिलना चाहिये। उसके काम में आने वाली जो चीजें हैं, चाहे खेती का सामान हो या दूसरा सामान हो, उसे सस्ते दामों पर मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि काश्तकार जो आज बहुत सी बातों में आनाकानी करते हैं

वह इस कारण से है कि उसके साथ भेदभाव बरता जाता है और पक्षपात किया जाता है। इन सारे कामों में उसकी समस्याओं हल हो जायेंगी।

आज जनता से कहा जाता है कि चूंकि देश में अनाज की कमी है इसलिये मांस ज्यादा खाना चाहिये। ठीक है, लेकिन मांस किसका खाना चाहिये। मांस कौनसा खाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि आप बम्बई बन्दरगाह को देखिये। वहां बीमार जानवरों को काटा जाता है और उनका मांस लोगों को खाने को दिया जाता है। जो कि बीमार पशु होते हैं जिनसे बीमारी बढ़ती है उनकी ओर ध्यान रखा जाना चाहिये क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो देश में बीमारी फैलेगी। मैं यह नहीं कहता कि आप लोगों को मांस खाने को मत दीजिये क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मांस के बिना जिन्दा नहीं रह सकते। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि मछली का उत्पादन केरल में होता है। मैं कहता हूं कि जहां मछली का उत्पादन हो सकता है वहां उत्पादन करना चाहिये, लेकिन जिन प्रदेशों में नहीं हो सकता है वहां पर लाखों रुपये खर्च करने पर भी नहीं होगा। आप क्यों इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जहां पर होता है वहां कीजिए। आपने एक आन्दोलन चलाया कि मछली पालो, मक्खी पालो, मुर्गी पालो। [illegible] इसका विरोध नहीं करता लेकिन आपको देखना चाहिये कि यह कहां चल सकता है और आज किस चीज की आवश्यकता है।

हम देखते हैं कि बहुत सी सड़कों पर अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, लेकिन जो पेड़ फल दे सकते हैं उनसे पेट की भूख मिट सकती है। आपको ऐसे पेड़ वहां लगाने चाहियें जिनके परवरिश करने में ज्यादा समय न लगे। यदि हम ऐसे पेड़ों को लगायेंगे तो सम्भव है कि उनके फल हमारे काम में आ सकें।

कभी कभी कहा जाता है कि लोग भूखों मर रहे हैं। इसको सुन कर मुझे उबासी

का एक किस्सा याद आता है । वहां कुछ लोग भूख से मर गये । डाक्टर कहता है कि नहीं भूख से नहीं मरे । कैसे मरे । इसलिये मरे कि उनके पेट में दर्द था । दर्द क्यों हुआ । इसलिये कि आम की गुठली खा ली थी । क्यों गुठली खा ली थी । इसलिये कि भूखों मर रहे थे । भूख क्यों लगी । यह पता नहीं । अनाज खाने को नहीं मिला इसलिये उन लोगों ने आम की गुठली खाई और गुठली के खाने से पेट में दर्द हुआ । मैं बतलाना चाहता हूं कि हम लोग रेल में सफर करते है तो जो आम खा कर फेंक देते हैं, उन के छिलके को लोग चूसते हुए दिखाई पड़ते हैं । यह हमारे देश की दशा है । इस सम्बन्ध में बहुत से लोग यह कहने के शौकीन हैं कि हमारा देश भूखा है । इस का प्रचार खूब होता है । मैं कहना चाहता हूं कि हम घर में भूखे रह लेंगे लेकिन इसके लिये हमको विदेशों में नहीं जाना चाहिये । यह बहुत बड़ा कलंक है हमारे लिये कि हम किसी से जा कर कहें कि हम भूखे है । यह बहुत बुरी बात है । हम भूखे जरूर है लेकिन इस के लिये हमको दूसरे देशों के सामने हाथ नहीं पसारना चाहिये । हम भूखे रहेंगे लेकिन स्वाभिमान के साथ । हम एक समय खायेंगे एक दिन में, दो दिन में एक समय खायेंगे लेकिन रहेंगे स्वाभिमान के साथ ।

आज देश को नारा दिया गया कि कम खाना चाहिये । सबसे पहले देश के अन्दर भारतीय जनसंघ ने नारा दिया कि हम हर मंगलवार को भोजन नहीं करेंगे क्योंकि इससे देश में भोजन बचेगा । हम उस अनाज को जहां अनाज की कमी है वहां भेजेंगे । लेकिन हमने देखा है कि यहां ससद् सदस्य बड़ी-बड़ी पार्टियों में जाते हैं । सभापति महोदय, मुझे भी जाने का अवसर मिला । मैंने देखा कि वह अपने प्लेट में लेते कितना हैं और उसमें से खाते कितना हैं और फेंकते कितना हैं । हम बड़े आदर्श की बात करते हैं कि हमें भूखा रहना है लेकिन आप पहले इस बात का अन्दाजा लगाइए कि देश के अन्दर कितना लोग झूठा फेंकते हैं और झूठा फेंकता कौन है? बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े अफसर, ऊंची तनख्वाह पाने वाले जो अपने आपको बहुत बड़ा मानते हैं, ऐसे लोगों के घरों में काफी झूठन फेंकी जाती है । उसका अन्दाजा लगाया जाय तो लाखों टन का हिसाब बैठेगा । तो हमें इसका प्रचार करना चाहिए कि लोग अपनी थाली में उतना ही लेवें जितना खा सकें । मिट्टी की तरह उसे फेंका न जाय । आज जनता कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, मैंने देखा आज जब वह अनाज लेने जाते हैं दुकान पर तो उन्हें कितनी परेशानी होती है । यह हो सकता है कि हमारे बांटने की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था ठीक न हो परन्तु लोगों में कितना भय फैला हुआ है, वह सोचते हैं कि हमें मिलेगा या नहीं । सभापति महोदय, मैंने स्वयं अपनी आंखों देखा है उज्जैन के अन्दर कि रात को मिल में काम करके 12 बजे मजदूर आता था और उसके बाद राशन की दूकान पर जाकर 12 बजे से लाइन लगाता था जबकि दूकान 8 बज खुलती है, 8 घंटे लाइन में वह खड़ा रहता था, तब उसको अनाज मिलता था । कितनी परेशानी उसमें होती है । सरकारी कर्मचारी क्यू में लाइन लगाकर खड़ा होगा या नौकरी पर जायगा ? यहां एक उत्तर में कहा गया कि हमने कुछ दूकानें खोली हैं जहां से कि सरकारी कर्मचारी को सुविधा से अनाज मिल सके । मैं पूछना चाहता हूं कि कितने सरकारी कर्मचारी दिल्ली में हैं और कितनों को सहूलियत से अनाज मिलता है या जो बड़े-बड़े कारखाने हैं उनमें काम करने वाले कितने लोगों को सहूलियत से अनाज मिलता है ? तो इसकी व्यवस्था की जाय कि उन्हें बिना किसी कठिनाई के अनाज मिले ताकि वह अपनी नौकरी पर ठीक समय पर जा पायें । आज सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा यह पुकार है देश की, जनता चाहती है देश की । आपने जो जोन प्रथा चलायी है इसे समाप्त किया जाय क्योंकि जो प्रान्त ज्यादा पैदा करते हैं वह रख कर बैठ जाते हैं, पड़ौस का कोई प्रान्त है, वहां अनाज

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

ज्यादा पैदा नहीं होता है, दूसरी चीजें पैदा होती हैं, वहां नहीं भेजा जाता यह जो ज्ञानप्रथा है खत्म करनी चाहिए। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में 30 रुपए मन गेहूं मिलता है, वही चोरी से महाराष्ट्र में ले जाया जाय तो शौक से 80 रुपये मन बेच सकते हैं। तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और लोगों को ज्यादा ब्लैक करने का अवसर मिलता है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और यह जो प्रथा है खत्म करनी चाहिए।

काफी लोगों ने यह बात कही है कि कहां तक ऐसी दशा है। मेरे पास आज ही उज्जैन से एक तार आया है जहां का मैं निवासी हूं। उन्होंने लिखा है—उज्जैन में नवम्बर माह में तथा दिसम्बर में पर हेड एक किलो देशी और विदेशी गेहूं नहीं मिल पाता। चावल की हालत बहुत चिन्ताजनक है और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टरेट है वह इनकी व्यवस्था नहीं कर पाता है। मैं पूछता हूं कि आखिर यह क्या है? ऐसी दशा क्यों है। तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि आज जो बहुत सी जमीन फालतू पड़ी है वहां पर हमारी सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, एक फौज तैयार करनी चाहिए, एक सेना तैयार करनी चाहिए। किस बात के लिए कि जहां खाली जमीन पड़ी है, लाखों एकड़ भूमि पड़ी है वहां जाकर खेती करे, अन्न पैदा करे, यह सरकार का कार्यक्रम होना चाहिए। एक ओर सरकार कहती है कि हमें ज्यादा अनाज पैदा करना चाहिए, मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से बताना चाहता हूं कि पिछले साल हमारे रामचन्द्र बड़े विट्ठल के क्षेत्र में जहां आदिवासी लोग रहते हैं, उन आदिवासियों का एक लाख रुपये का खड़ा अनाज, खड़ी फसल काटी गयी, मिट्टी में मिल गई। तो यह दोनों बातें कैसे चलेंगी? एक ओर कहते हैं अनाज ज्यादा पैदा करो, दूसरी ओर खड़ी फसल मिट्टी में मिलाना चाहते हो, यह दोनों बातें नहीं चलेंगी, न जनता यह बातें सहन कर सकती है। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अपनी बात को अन्त की ओर ले जाते हुए कि सरकार ऐसी नीति अपनाये जिससे देश के अन्दर काफी ज्यादा लोग अन्न पैदा कर सकें, लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिले। लेकिन जो प्रान्त प्रान्त के अन्दर अलग अलग कानून है, मध्य प्रदेश में कुछ है, उत्तर प्रदेश में कुछ है, पंजाब में कुछ है, यह क्या है? हमारी एक नीति होनी चाहिए, एक पालिसी होनी चाहिए, सारे देश के अन्दर उसी के मुताबिक वह कानून लागू होना चाहिए और फिर अमल करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं और मैंने जो सुझाव दिये, सरकार उन पर ध्यान देगी।

Mr. Chairman: Shri K. L. More.

Shri K. L. More (Hatakanangle): Mr. Chairman, Sir.....

Mr. Chairman: The hon. Member may continue his speech the next day.

18·56 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 3, 1965/Agrahayana 12, 1887 (Saka).

GMGIPND—LS II—2064 (Ai) LSD—4-1-66—970.